(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,
मेघनाथ पुत्र हीरनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मुकाम श्रीडूंगरगढ
बनाम दुर्गनाथ वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 103/2026 U/S 212 RTA & 151CPC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.04.2026	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी मेघनाथ ने जरिये श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मार्फत पेश किया गया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 168 तादादी 13.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 872 तादादी 7.3100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 886 तादादी 12.5200 हैक्टेयर वाकेरोही पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकरान आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थी के हक हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की एवं सम्पूर्ण खसरा में रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.06.2026 को उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आईन्दा दिनांक 01.06.2026 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
27.5.2026	आज यह पत्रावली प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने के कारण पेशी में ली गई। प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र विड्रो किया गया है, प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने व प्रा.पत्र का कोई औचित्य नहीं होने के कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से काट [illegible] उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	[illegible]

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)